तकनीकी शिक्षा को विधि व्यवसाय से जोड़ने की जरूरत : कुलपति

- सिद्धार्थ ला कालेज में भारतीय संवैधानिक विधि विषय पर नेशनल कांफ्रेंस का आयोजन
- 70 शोधार्थियों ने प्रस्तुत किए शोध पत्र, 30 शोध पत्र को प्रकाशित करने की मिली अनुमति

जागरण संवाददाता, देहरादून : वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह ने कहा कि वर्तमान परिवेश में तकनीकी शिक्षा को विधि शिक्षा एवं विधि व्यवसाय से जोड़ने की आवश्यकता है। जिसकी पहल विवि के संबद्ध सिद्धार्थ ला कालेज की ओर से की गई है। यह बातें प्रो. ओंकार सिंह ने सहस्त्रधारा रोड स्थित सिद्धार्थ ला कालेज की ओर से आयोजित दो दिवसीय नेशनल कांफ्रेंस में कहीं।

सिद्धार्थ ला कालेज में भारतीय संवैधानिक विधिः समयकालीन मुद्दे और चुनौतियां विषय पर दो दिवसीय नेशनल कांफ्रेंस आयोजित की गई। जिसमें 70 शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। जिनमें से 30 शोध पत्र को प्रकाशित करने की अनुमति दी गई। निर्णय लिया गया कि प्राप्त शोध पत्रों के शोध पुस्तिका में प्रकाशित किया जाएगा। समापन सत्र के मुख्य अतिथि कुमाऊं विवि के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. एसके शर्मा ने शिक्षा के विकास में शिक्षकों के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिना शिक्षकों के शिक्षा को सही दिशा नहीं दी जा सकती है। विकासशील देशों के विकास में संवैधानिक नैतिकता की व्यापक भूमिका है। सिद्धार्थ ला कालेज के प्राचार्य डा. शराफत अली ने बताया कि कांफ्रेंस में प्रस्तुत शोध पत्रों में से लगभग 50 शोध पत्रों को प्रकाशित किए जाने की योजना है।